

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 41/2015

संस्थित दिनांक-10/08/2010

फाईलिंग नंबर-2303033004012010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

—-—-अभियोजन

वि रू द्ध

1. प्रदीप उर्फ नाना पुत्र जगन्नाथ यादव,  
उम्र 26 साल
2. बंटू उर्फ बंटाराम पुत्र कंचन सिंह यादव  
उम्र 30 साल, निवासीगण लोहारपुरा मौ
3. पिकी उर्फ रामनारायण पुत्र भूरे सिंह गुर्जर,  
उम्र 25 साल, निवासी ग्राम गुमारा
4. सतेन्द्र उर्फ सत्ते पुत्र हरगोविंद राजपूत,  
31 साल, निवासी ग्राम बडेरा थाना अमायन जिला भिण्ड  
.....आरोपीगण
5. डब्बू उर्फ राजपाल पुत्र सूरज उर्फ सुर्य प्रभाकर राजपूत  
उम्र 37 साल .....**फरार आरोपी**

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक  
आरोपी प्रदीप उर्फ नाना द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता  
आरोपी बंटू उर्फ बंटाराम एवं सतेन्द्र द्वारा श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता  
आरोपी पिकी उर्फ राजनारायण द्वारा श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता

### **—::— निर्णय —::—**

(आज दिनांक 06/07/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण प्रदीप, सतेन्द्र, बंटू एवं पिकी उर्फ राजनारायण के विरुद्ध धारा 399, एवं 402 भा0द0वि0, सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 05/05/2010 के 20:10 बजे कोमलसिंह परिहार के मकान के पिछवाड़े किटी रोड भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में डकैती की तैयारी की एवं डकैती के प्रयोजन से एकत्रित पांच व्यक्तियायें में से एक स्वयं रहे। तथा अभियुक्तगण पिकी उर्फ रामनारायण एवं प्रदीप उर्फ नाना अपने आधिपत्य में क्रमशः एक 315 बोर का कटटा व 12 बोर कटटा मय तीन तीन जिंदा कारतूस अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के रखे पाये गये जिसका उनपर धारा-25 आयुध अधिनियम के

तहत आरोप है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 05/05/2010 के 20:10 बजे कोमलसिंह परिहार के मकान के पिछवाड़े किटी रोड भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था एवं यह भी स्वीकृत है कि आरोपीगण पर विचाराधीन मामले के अलावा अन्य भी आपराधिक मामले पंजीबद्ध हुए हैं एवं सहअभियुक्त डब्लू आदेश दिनांक-14/10/2015 से फरार है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दि०-5/5/2010 को जब थाना प्रभारी मौ के पद पर निरीक्षक जे.आर. जुमनानी पदस्थ था, तब उसे शाम के करीब 6:50 बजे जरिये मुखबिर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा मौ के शांतिलाल जैन की मिल व आढत की गददी पर रकम आयी है, और पांच सशस्त्र बदमाश कोमल सिंह परिहार के मकान के पिछवाड़े किटी रोड भिण्ड पर आपस में मिलकर शांतिलाल जैन के यहां डकैती डालने की योजना की तैयारी के साथ छिपे हुए हैं। जिस सूचना को टी.आई. जुमनानी ने रोजनामचा सानहा क्र०-147 पर दर्ज करते हुए आरक्षक शिवनारायण सिंह को थाने व एस.ए.एफ. का पुलिस बल तलब करने हेतु रोजनामचासानहा क्र०-148 पर उसकी रवानगी दर्ज करते हुए भेजा। और उक्त आरक्षक एस.ए.एफ. एवं थाने के पुलिस बल तथा दो पंच साक्षी करू उर्फ प्रहलाद यादव व विजय सिंह यादव निवासी लोहरपुरा को लेकर आया फिर शाम सात बजे लाये गये पुलिस बल की आमद रोजनामचासानहा क्र०-149 पर दर्ज की, प्राप्त सूचना से पुलिसबल व साक्षियों को अवगत कराया गया। फिर शाम 7:30 बजे टी.आई. जे.आर. जुमनानी व पुलिस तथा एस.ए.एफ. का बल और साक्षियों को पुलिस वाहन स मय आर्म्स एम्पुनेशन के लेकर मुखबिर की सूचना की तस्दीख हेतु रोजनामचासानहा क्र०-150 पर रवानगी दर्ज करते हुए किटी रोड तरफ गये। रात 9:25 बजे हरिजन छात्रावास प्रांगण में समस्त फॉर्स व गवाहन को इकट्ठा कर पुनः मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए दो पुलिस पार्टियां बनायी गयीं जिनमें पार्टी क्र०-1 का नेतृत्व स्वयं टी.आई. जे.आर. जुमनानी ने किया, जिसके साथ ए.एस.आई. मुन्नीलाल, प्र.आर. तिलकसिंह, आरक्षक शिवनारायण सिंह, सुनील शर्मा, गुरुदास सिंह, दीपक सिंह थे और पार्टी क्र०-2 का नेतृत्व ए.एस.आई. के.एम. सिददीकी को सौंपा जिसकी टीम में ए.एस.आई. रामशरन सिंह चौहान, प्र. आर. जसराम सिंह, ए.पी.सी. बाबूराम, आरक्षक सुरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र भास्कर, जितेन्द्र सिंह थे। पार्टी क्र०-2 ने कब्रिस्तान की तरफ से, कोमल सिंह परिहार के मकान के पास जाकर एम्बुस लगाया और मोबाइल फोन से सूचना मिलने पर तथा टी. आई. की दविश देने के लिए निर्देश प्राप्त होन पर दविश दी और पार्टी क्र०-1 पेट्रोल पंप की तरफ से गये और घेरा बंदी करके बदमाशों की वार्तालाप को सुना फिर उन्हें ललकारते हुए घेराबंदी की तो, तीन बदमाश मौके पर पकड़े गये दो बदमाश रात होने से अंधेरे का लाभ लेकर मोटरसाईकिल से भागने में सफल हो गये। पकड़े गये तीनों बदमाश से पूछताछ करने पर उनके नाम प्रदीप उर्फ

नाना, राजनारायण उर्फ पिकी, बंटू उर्फ बंटा बताये गये, भागने वालों के नाम सतेन्द्र एवं डबू उर्फ राजपाल बताये ।

4. मौके पर कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रदीप उर्फ नाना से 12 बोर का लोडेड कटटा व दो जिंदा कारतूस, राजनारायण उर्फ पिकी से 315 बोर का देशी लोडेड कटटा व दो जिंदा कारतूस व बजाज सी.टी.100 मोटरसाईकिल और बंटू उर्फ बंटा से लोहे का सरिया जब्त किया तथा उन्हें मौके पर जब्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही करके थाना लाकर उनके व भागने में सफल रहे आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र.-32/2010 धारा-399, 400, 402 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विचारण में सतेन्द्र उर्फ सत्ते से एक मोटरसाईकिल की और जब्ती हुई तथा मामले की विवेचना करते हुए संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया ।
5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त राजनारायण उर्फ पिकी एवं प्रदीप उर्फ नाना के विरुद्ध धारा 399, एवं 402 भादवि सहपठित धारा-11/13 एमपीडीओपीके0 एक्ट तथा धारा-25 आयुध अधिनियम तथा आरोपीगण बंटी उर्फ बंटा, सतेन्द्र उर्फ सत्ते एवं डबू उर्फ राजपाल के विरुद्ध 399, एवं 402 भादवि सहपठित धारा-11/13 एमपीडीओपीके0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।
6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
  1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 05/05/2010 को रात्रि के समय 08:10 बजे कोमल परिहार के मकान के पिछवाड़े किटी रोड भिण्ड में एकत्र होकर संयुक्त तौर पर डकैती के अभ्यस्त रहते हुए डकैती डालने के प्रयोजन से आपस में मिलकर टोली बनाकर पांच व्यक्तियों का समूह तैयार कर डकैती की योजना बनाई ?
  2. क्या आरोपीगण उक्त अपराध कारित करने के लिये घातक व आग्नेय शस्त्रों से सुसज्जित रहे?
  3. क्या आरोपी राजनारायण उर्फ पिकी एवं आरोपी प्रदीप उर्फ नाना द्वारा अपने आधिपत्य व संज्ञान में उक्त घटना के समय क्रमशः 315 बोर के देशी कटटा मय तीन जिन्दा कारतूसों एवं 12 बोर का देशी कटटा मय 03 जिंदा कारतूस के वगैर वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में आयुध अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन करते हुए रखे पाया गया?

-:-निष्कर्ष के आधार :-

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 2 का निराकरण

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. परीक्षित साक्षियों में से घटना के बताये गये पंच साक्षी प्रहलाद सिंह अ.सा.-6 और विजय सिंह अ.सा.-7 हैं। जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया है, दोनों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया और प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गये प्रश्नों में अभियोजन के मुताबिक बताये गये वृत्तांत में से किसी भी तथ्य का समर्थन नहीं किया है। दोनों ने इस बात से इंकार किया है कि वे घटना दि7-5/5/10 को रात 9 बजे बस स्टेण्ड मौ पर खड़े थे और पुलिस उनको साथ लेकर गयी थी। प्रहलाद ने प्र.पी.-5 का एवं विजय सिंह ने प्र.पी.-12 का पुलिस को कथन देने से साफ तौर पर इंकार किया है। दोनों ही साक्षियों ने इस बात से इंकार किया है कि उनके सामने पुलिस ने आरोपी प्रदीप यादव, बंटू, पिकी उर्फ रामनारायण को मौके पर प्रदर्श पी.-6 लगायत-8 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया। इस बात से भी इंकार किया है कि प्रदीप के आधिपत्य से 12 बोर का कटटा व 3 जिंदा कारतूस एवं आरोपी रामनारायण उर्फ पिकी के कब्ज से 315 बोर का देशी कटटा व तीन जिंदा कारतूस व काले रंग की बिना नंबरों बजाज सी.टी.-100 मोटरसाईकिल व बंटू उर्फ बंटा से लोहे का सरिया मौके पर जब्त हुआ था जिसकी पुलिस ने प्र.पी.-9 लगायत-11 के जब्ती पत्रक बनाये थे।
9. बल्कि दोनों ने ही पुलिस द्वारा थाने पर कागजों पर हस्ताक्षर करा लेना, उन्हें पढ़ने नहीं देना और पुलिस के भय से हस्ताक्षर कर देना कहा है। इस प्रकार से पंच साक्षियों से घटना का कोई समर्थन नहीं है। जबकि कथानक मुताबिक उक्त दोनों साक्षियों को आरक्षक शिवनारायण सिंह के द्वारा बुलवाया गया था। फिर उन्हें थाने से साथ ले जाया गया था। मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया। और मौके पर ही पुलिसबल सहित उन्होंने भी बदमाशों की शांतिलाल जैन के यहां डकैती डालने की योजना बनाते हुए सुना। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण साक्षियों के समर्थन न करने से शेष साक्षियों के अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो जाता है।
10. प्रकरण में घटना का सूत्रधार निरीक्षक जे.आर. जुमनानी था, जो अभियोजन को साक्ष्य हेतु दिये गये आवश्यकता से अधिक दिये गये अवसरों के बावजूद एवं उक्त विवेचक के साक्ष्य हेतु न्यायालय द्वारा किये गये अनेक प्रयासों के बाद भी वह साक्ष्य को उपस्थित नहीं हुआ, जिसमें साक्षी को संमंस, जमानती वारण्ट से अनेक बार आहूत किया गया, पुलिस अधीक्षक भिण्ड, अतिरिक्त पुलिस महा निरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जॉन को भी अनेक बार पत्राचार किये जाने के बावजूद वह साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ, इसके अलावा घटना का दूसरा महत्वपूर्ण साक्षी आरक्षक शिवनारायण था वह भी अनेक प्रयासों के बाद साक्ष्य को उपस्थित नहीं हुआ। कथानक मुताबिक जो पुलिसबल की दो टीमों आरोपीगण को दविश देकर पकड़ने के लिए बनायीं गयी उनमें से केवल ए.एस. आई. मुन्नीलाल मौर्य ही अ.सा.-03 के रूप में परीक्षित कराया गया है, अन्य कोई



भी हमराह पुलिसबल का सदस्य साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसे में अ.सा.-03 व अन्य साक्षियों के अत्यंत सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने की विधिक आवश्यकता हो जाती है। और यह देखना होगा कि क्या अ.सा.-3 की अभिसाक्ष्य से अभियोजन द्वारा बतायी गयी घटना युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होती है। क्योंकि दण्डिक विधि में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। अर्थात् एकल साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है।

11. अन्य परीक्षित साक्षियों में से विवेचना के दौरान आरोपी सतेन्द्र को विवेचना में शामिल करते हुए उसके संबंध में की गयी कार्यवाही के पंच साक्षी रघुवीर सिंह अ.सा.-1 व देवेन्द्रसिंह अ.सा.-2 हैं किन्तु वे दोनों भी पक्षविरोधी रहे हैं और उन्होंने आरोपी सतेन्द्र के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। सूचक प्रश्नों में भी उनके द्वारा ऐसे कोई तथ्य नहीं बताये गये जो अभियोजन के मामले को प्रमाणित करने में सहायक हों, दोनों ही साक्षियों ने सतेन्द्र को जानने पहचानने से इंकार किया है और उनके समक्ष कोई कार्यवाही होने से भी इंकार किया है। धारा-27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन दिये जाने से और ज्ञापन के आधार पर आरोपी सतेन्द्र के कब्जे से प्लेटिना मोटरसाईकिल उसके ट्यूबेल से बरामद किए जाने से भी इंकार करते हुए प्र.पी.-1 के ज्ञापन व प्र.पी.-2 के जब्ती पत्रक का समर्थन नहीं किया, केवल उनपर अपने हस्ताक्षर मात्र बताये हैं जो वह पुलिस द्वारा बिना पढ़े कराये लेना बताते हैं। इस तरह से सतेन्द्र के संबंध में भी स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन का अभाव है। राजपाल उर्फ डब्बू से कोई वस्तु की बरामदगी नहीं बतायी गयी है।

12. मौके की कार्यवाही के संबंध में अब केवल ए.एस.आई. एम.एल. मौर्य अ.सा.-3 का ही अभिसाक्ष्य शेष है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस पार्टी क्र0-1 का सदस्य रहते हुए निरीक्षक जे.आर. जुमनानी के साथ मौके पर जाना तो बताया है किन्तु वह किसी भी मौके पर की गयी दस्तावेजी कार्यवाही का साक्षी नहीं है, केवल हमराह पुलिसबल के सदस्य के रूप में ही अपनी उपस्थिति बताता है। जिसके संबंध में कोई रोजनामचासानहा साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है और आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ताओं का मूलतः यह तर्क भी रहा है कि घटना का स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन नहीं है, स्वयं विवेचक साक्ष्य को नहीं आया। जो साक्षी परीक्षित कराये गये वे पक्ष विरोधी रहे हैं। इसलिये एम.एल.मौर्य के कथन से दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। जबकि विशेष लोक अभियोजक ने एम.एल. मौर्य अ.सा.-3 के एकल साक्ष्य का विश्वसनीय होने के कारण दोषसिद्धि किए जाने का तर्क किया है।

13. एम.एल. मौर्य अ.सा.-3 ने अपने अभिसाक्ष्य पैरा-2 में यह बताया है कि जब घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ा गया था तब दो बदमाश सतेन्द्र व डब्बू भाग गये थे, तीन बदमाश पिकी, प्रदीप व भूरा मौके पर पकड़े गये थे। जबकि मौके पर पकड़े गये बदमाशों में अभियोजन कथानक में पिकी और प्रदीप के अलावा बंटू उर्फ बंटा बताया है, भूरा नाम का कोई बदमाश कथानक में नहीं आया है। उसका यह भी कहना रहा है कि आरोपीगण कोमलसिंह परिहार के मकान से करीब 50 कदम की दूरी पर आपस में बातचीत कर रहे थे, पुलिसबल

ने कोमलसिंह परिहार के मकान की मडैया में छिपकर बातचीत सुनी थी। वह मौके की कार्यवाही में करीब 20-25 मिनट लगना बताता है। और मौके से करीब 9:25 बजे वापिस रवाना होना, रात 9:30 बजे थाने पर आ जाना बताते हुए घटनास्थल पर पहुंचने व रवाना होने में करीब 45 मिनट का समय लगना बताता है। जबकि कथानक मुताबिक 07:30 बजे रवानगी तथा 09:25 बजे थाने पर वापिसी बतायी गयी है। यह भी उसने स्वीकार किया है कि जिस रास्ते से वे गये थे वह पक्का रास्ता था और टाटा 407 शासकीय वाहन से गये थे तथा उसमें लाइट थी और रात में एक दो किलोमीटर दूर से वाहन की हैडलाइट के आधार पर इस बात का आभास हो जाता है कि कोई वाहन चल रहा है। तथा वहान की हैडलाइट 250-300 मीटर दूर तक दिखती है। आरोपीगण पर पूर्व से अन्य अपराध पंजीबद्ध होना भी स्वीकार किया है, हालांकि इस बात से उसने इंकार किया कि अन्य मामलों के आधार पर आरोपीगण पर झूठा मामला बना दिया।

14. अ.सा.-3 के उक्त अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितनी दूर तक वे वाहन से गये, कितनी दूरी तक पैदल गये ? तथा कथानक मुताबिक मुखबिर की सूचना शाम 06:50 बजे मिल गयी, मौके पर बदमाशों को यह कहते हुए सुना जाना बताया गया है कि आज शांतिलाल जैन के पास काफी सरसों की ट्रॉली आयी है और किसानों को पैसे देने के लिए काफी बड़ी रकम बैंक से लाया होगा, रात 8 बजे लाइट चले जाने पर शांतिलाल की रकम जो बैग में गददी के पास रखी होती है, उसे किसानों को भगाने व भयभीत करने के लिए कटटों से भयभीत कर रकम लूट लेंगे, किन्तु ऐसा बार्तालाप परीक्षित ए.एस.आई. एम.एल. मौर्य के द्वारा सुना जाना नहीं बताया गया है, बल्कि उसने यह बताया है कि जो बातचीत सुनी गयी थी उसमें पांच लोग आपस में यह बातचीत कर रहे थे कि शांतिलाल जैन के यहां आज काफी गल्ला बेचा गया है और यहां पर 8 बजे के करीब लाइट चली जाने पर लूट करेंगे। साक्षी के अभिसाक्ष्य से तो यह अर्थ निकलता है कि शांतिलाल जैन से गल्ला बेचा जिसकी रकम उसे मिली और उसी को लूटने की पांच लोगों ने मिलकर योजना बनाते हुए घटना को अंजाम देने की तैयारी की। जबकि कथानक इसके विपरीत है जिसमें शांतिलाल द्वारा किसानों से प्राप्त की गयी सरसों की रकम किसानों को देने के लिए शांतिलाल द्वारा बैंक से रुपया निकाला गया था। जो परस्पर विरोधाभासी होने से अ.सा.-3 के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। जिसका किसी अन्य साक्ष्य से समर्थन भी नहीं है।

15. प्रकरण में विवेचना के दौरान जो साक्ष्य का संकलन किया, उसमें भी शांतिलाल जैन को इस बात का साक्षी बनाया जा सकता था कि घटना दि0 को उसने किसानों से खरीदी गयी सरसों की राशि भुगतान करने के लिए बैंक से निकाली या नहीं या कोई गल्ला बेचा जिसकी रकम शांतिलाल जैन को प्राप्त हुई हो और वह किसानों को देने वाला हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शाम 7 बजे के पहले से मुखबिर की सूचना मुताबिक आरोपीगण कोमलसिंह परिहार के मकान के पिछवाड़े डकैती की योजना बनाते हुए देखे गये और जब दविश दी गयी, तब तक वे उसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपनी बातचीत को दोहराते रहे हों, यह स्वभाविक रूप से संभव नहीं है। और महत्वपूर्ण साक्षियों का

साक्ष्य में प्रस्तुत न होना भी अभियोजन के मामले को पूर्णतः संदिग्ध बनाता है। इसलिये अ.सा.-3 के अभिसाक्ष्य के आधार पर न तो यह माना जा सकता है कि आरोपीगण दिनांक-05/05/2010 को कोमलसिंह परिहार के मकान के पिछवाड़े किटी रोड पर रात्रि के करीब 08 बजे के आसपास डकैती की तैयारी कर रहे थे जिसके लिए वे पांच की संख्या में एकत्र थे, न ही उनका आग्नेय शस्त्रों से सुसज्जित होकर उक्त घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी होने का प्रमाण है। इसलिये केवल घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र होने मात्र के आधार पर धारा-399 एवं 402 भादवि0 सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट अधिनियम 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ पाने के वे पात्र हैं।

16. अतः आरोपीगण को धारा-399 एवं 402 भादवि0 सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट अधिनियम 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-3

17. इस संबंध में धारा-25 आयुध अधिनियम 1959 के तहत रामनारायण उर्फ पिकी एवं प्रदीप उर्फ नाना पर ही आरोप विरचित हैं। जिसके संबंध में जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.-9 व 10 के संबंध में प्रहलाद अ.सा.-6 एवं विजयसिंह अ.सा.-7 ने कोई समर्थन नहीं किया, प्र.पी.-9 व 10 की कार्यवाही टी.आई. जे.आर. जुमनानी की है जो साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिये प्र.पी.-9 व 10 के दस्तावेज प्रमाणित नहीं हैं क्योंकि उसके संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।
18. इस संबंध में प्र0आर0 आर्म्स मुहर्रर राजकिशोरसिंह अ0सा0-5 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया गया है कि वह दिनांक 21/05/2010 को पुलिस लाईन भिण्ड में आर्म्स मुहर्रर के पद पर पदस्थ था। तब थाना मौ के अप0क0-32/10 में जप्तशुदा एक 315 बोर के देशी कट्टा एवं 12 बोर कट्टा तथ तीन-तीन जिंदा कारतूस सीलबंद स्थिति में जांच हेतु उसे प्राप्त हुए थे। दोनों कट्टों व कारतूसों की जांच उसने की थी। जांच करने पर दोनों कट्टों का एक्शन चैक करने पर एक्शन सही पाया गया था जिसके आधार पर दोनों कट्टे चालू हालत में होकर फायर किये जाने योग्य थे। जांच उपरान्त उसने कट्टों व कारतूसों को जिन कपड़ों में सीलबंद होकर आये थे उन्हीं में सीलबंद कर वापिस किया था और प्र0पी0-04 की जांच रिपोर्ट तैयार की थी। उसका यह भी कहना है कि कट्टों को उसने खाली चलाकर देखा था, कारतूस डालकर उपयोग नहीं किया था। उसे कट्टा व कारतूसों के साथ जांच के समय एफ0आई0आर0 व जप्ती पत्रक भी प्राप्त हुए थे। इस बात से इन्कार किया है कि उसने बिना कट्टा व कारतूसों को देखे ही उक्त दस्तावेजों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। बल्कि यह बताया है कि कट्टा कारतूस उसने जांच उपरान्त चपड़ी से सीलबंद करके वापिस किये थे।
19. उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-04 की जांच रिपोर्ट प्रमाणित होती है जिससे यह प्रमाणित है कि जिन कट्टों व कारतूसों की उक्त आर्म्स मुहर्रर द्वारा जांच की गई वह कट्टे व कारतूस 315 बोर एवं 12 बोर के थे और कट्टों का एक्शन चालू था। कारतूस जीवित थे किन्तु उक्त साक्षी के द्वारा जांच किये

गये कट्टा कारतूस विचाराधीन आरोपीगण या उनमें से किसी से बरामद हुए या नहीं, यह प्रमाणित होने पर ही जांच रिपोर्ट को अभियोजन के कथानक मुताबिक बताई गई घटना से जोड़ा जा सकता है। लेकिन प्र0पी0-04 की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि जिन कट्टों व कारतूसों की उसने जांच की थी वह अप0क्र0-32/10 थाना मौ में अभियोजित आरोपी राजनारायण उर्फ पिकी एवं प्रदीप उर्फ नाना से ही बरामद हुए थे। इस मामले में आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(ए) के तहत आरोप भी उक्त आरोपीगण पर ही विरचित किया गया है। इसलिये यह मूल्यांकित करना होगा कि क्या उक्त आरोपीगण के द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 का उल्लंघन किया गया है तब ही उस पर लगाया गया आरोप प्रमाणित हो सकता है।

20. योगेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 08/07/2010 को डी0एम0 कार्यालय भिण्ड में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के अभियोजन स्वीकृति के पत्र क्रमांक-339/10 दिनांक 05/07/2010 के साथ केसडायरी व आग्नेय शस्त्र प्राप्त होने पर उन्हें साथ आये आरक्षक रणजीतसिंह द्वारा डी0एम0 रघुराज राजेन्द्रन महोदय के समक्ष अवलोकन हेतु पेश किये गये थे जिनका तत्कालीन डी0एम0 रघुराज राजेन्द्रन द्वारा अवलोकन करके अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र0पी0-03 प्रदान की गई थी। जिसके ए से ए भाग पर उसने तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षरों को पहचानते हुए तथा बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर बताये हैं और यह कहा है कि आरोपी पिकी उर्फ राजनारायण से 315 बोर का कट्टा एवं तीन जिन्दा कारतूस और प्रदीप उर्फ नाना से 12 बोर का देशी कट्टा व 03 जिन्दा कारतूस जप्त होना बताये गये थे जिनको रखने का उसके पास कोई वैध शस्त्र लायसेन्स नहीं था। इस आधार पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है।

21. इस प्रकार से उपरोक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-03 की अभियोजन स्वीकृति प्रदान किया जाना एवं अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी का न्यायिक विवेक का उपयोग करना प्रमाणित होता है। धारा-39 आयुध अधिनियम 1959 के तहत अभियोजन स्वीकृति दिये जाते समय ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिला दण्डाधिकारी हथियारों का स्वयं परीक्षण करे बल्कि धारा-39 के प्रावधान की मंशा अभियोजन स्वीकृति देते समय न्यायिक विवेक का उपयोग करने की है और अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं जिससे तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा अभियोजन स्वीकृति मनमाने तौर पर या अविवेकपूर्ण तरीके से दी गई हो। इसलिये प्रदर्श पी0-3 तो प्रमाणित होती है किन्तु आरोपीगण पिकी उर्फ राजनारायण एवं आरोपी प्रदीप उर्फ नाना से उक्त कट्टा कारतूसों की बरामदगी ही संदिग्ध है, इसलिये उन्हें धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध के लिये तभी दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

22. फलतः आरोपीगण पिकी उर्फ राजनारायण एवं प्रदीप उर्फ नाना को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के आरोप से भी संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।



23. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
24. आरोपीगण सतेन्द्र एवं बंटू उर्फ बंटाराम के प्रोडक्शन वारण्ट पर यह टीप लगायी जावे कि उनकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर रिहा किया जावे।
25. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल बजाज सी.टी.-100 बिना नंबर की एवं 315 बोर एवं 12 बोर कटटा एवं 315 बोर व 12 बोर के तीन-तीन कारतूस आरोपी डबू उर्फ राजपाल के फरार होने से सुरक्षित रखी जावे।
26. आरोपीगण के धारा-428 जा.फौ. के तहत प्रमाणपत्र बनाये जावें।
27. अभियुक्त डबू के फरार होने से अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार में जमा किया जावे।
28. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 06/07/2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी के  
(शासकीय / विधिक उप)